प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक–24.06.2016 को पटना शहरी क्षेत्र के अंतर्गत अवस्थित 5 ग्राम पंचायतों (पाटलीपुत्रा क्षेत्र सहित) को पटना नगर निगम क्षेत्र में शामिल किये जाने के बिन्दु पर विचार विमर्श हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही:–

उपस्थिति:–

1. **श्री चैतन्य प्रसाद,**
   प्रधान सचिव,
   नगर विकास एवं आवास विभाग।
2. **सचिव,**
   राज्य निर्वाचन आयोग।
3. **निदेशक,**
   पंचायती राज विभाग।
4. **उप विकास आयुक्त,**
   पटना।
5. **नगर आयुक्त,**
   पटना नगर निगम, पटना।

नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना संख्या–10203 LSG , दिनांक–05.10.1960 एवं अधिसूचना संख्या–1795, दिनांक–09.03.1967 [पाटलीपुत्रा को–ओपरेटिव हाउस कन्सट्रक्शन सोसाईटी लि० का क्षेत्र ग्राम– मेनपुरा का भाग (थाना नं०–2) और दीघा (थाना नं०–1) में सभी पटना जिला के फुलवारी थाना के अंतर्गत है, को शामिल किया गया है] द्वारा पटना नगर निगम का क्षेत्र विस्तार किया गया है। पाटलीपुत्रा को ओपरेटिव हाउस कन्सट्रक्शन सोसाईटी लि० के सचिव द्वारा पाटलीपुत्रा कॉलोनी को पटना नगर निगम में शामिल नहीं करने हेतु Title Suit No–170/1967 एवं 171/67 के माध्यम से चुनौती दी गई। Title Suit No–171/67, वर्ष–1991 में ही स्वतः "अदम पैरवी" में खारिज कर दिया गया (Dimiss for Default)। Title Suit No–170/67 जिसे माननीय सब जज–3 द्वारा, दिनांक– 17.07.1995 को खारिज कर दिया, पुनः उक्त फैसले के विरूद्ध पटालिपुत्रा सोसाईटी द्वारा अपिल 70/1995 दायर किया गया जिसे दिनांक–04.12.02014 को व्यवहार न्यायालय पटना द्वारा खारिज कर दिया गया है। CWJC No- 8192/2013 नरेन्द्र मिश्रा राज्य सरकार एवं अन्य माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूध पाटलीपुत्रा को ओपरेटिव हाउस कन्सट्रक्सन सोसाईटी लि० द्वारा SLP (C) No-24496/2014 में दिनांक–06.01.2015 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा Dismissed & Infructuous का निर्णय दिया गया। (Learned Counsel For the Petitioner Submits that since the appeal has been dicided, this special leave petition has become infructuous. Hence the same is accordingly, dismissed & infructuous.)

2. विभागीय अधिसूचना संख्या–5291, दिनांक–27.11.2007 द्वारा 05 ग्राम पंचायत पश्चिमी दीघा, पूर्वी दीघा, उत्तरी मैनपुरा, पश्चिमी मैनपुरा तथा पूर्वी मैनपुरा को पटना नगर निगम में शामिल किया गया। अधिसूचना संख्या–5291, दिनांक–27.011.2007 द्वारा उक्त 05 ग्राम पंचायतों को पटना नगर निगम क्षेत्र में सम्मिलित कर लिये जाने के परिपेक्ष्य में इन ग्राम पंचायतों के मुखिया को पद मुक्त करने संबंधी राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश दिनांक–30.11.2015 के विरूद्ध दायर याचिका CWJC No-19373/2015 Nilesh Prasad and ors v/s The State of Bihar and Ors में दिनांक–14.03.2016 को पारित आदेश का प्रभावी अंश इस प्रकार है:–

In view of the extra ordinary facts of the present case and the legal position so discussed by the Division Bench as well as the undisputed fact that although steps have been taken by the State Government for denotification of Panchayats in question but the said exercise has not been taken to its logical conclusion either by issuance of a statutory notification under Section 151 (1) of 'the Act' in the district gazette or by holding election for the municipal area so constituted, it becomes undeniable that the Panchayat (s) in question continue to possess their legal character and the petitioners cannot be held

disqualified to continue on their posts under Section 135 and 136 of 'the Act' rather have a right to continue until the completion of their respective tenure or until such time that a denotification takes place under Section 151 (1) of 'the Act' whichever is earlier.

For the reasons aforementioned, the order dated-30.11.2015 passed by the State Election Commission, Bihar, in Case No. 21 of 2015 cannot be upheld and is according set aside. The consequences shall follow.

3. पंचायती राज विभाग के आदेश संख्या–127 दिनांक–16.06.2016 द्वारा माननीय न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 की धारा–151 के अधीन निम्न आदेश दिया गया है:–

पटना सदर प्रखण्ड के ग्राम पंचायत पश्चिमी दीघा, ग्राम पंचायत पूर्वी दीघा, ग्राम पंचायत उत्तरी मैनपुरा ग्राम पंचायत पश्चिमी मैनपुरा एवं ग्राम पंचायत पूर्वी मैनपुरा को पटना नगर निगम क्षेत्र में सम्मिलित कर लिये जाने के फलस्वरूप उक्त पंचायतों को वर्त्तमान कार्यकाल पूर्ण होने की तिथि में विघटित किया जाता है। इस विघटन के फलस्वरूप इन ग्राम पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा एवं इसमें सम्मिलित पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों एवं जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र की सीमा में तदनुसार परिर्वतन हो जायेगा। उक्त ग्राम पंचायतों के फलस्वरूप उन्हें ग्राम पंचायत के रूप में भंग (Dissolve) करने संबंधी सूचना जिला पदाधिकारी, पटना जिला गजट में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जायेगी।

4. उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग द्वारा उक्त क्षेत्रों को denotify कर दिया गया है एवं उक्त पाँचों ग्राम पंचायत का वर्तमान कार्यकाल भी दिनांक–22.05.2016 को पूर्ण हो गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना संख्या–5291 दिनांक–27.11.2007 द्वारा पटना सदर प्रखण्ड अंतर्गत पाँच ग्राम पंचायतों, यथा पश्चिमी दीघा, पूर्वी दीघा, उत्तरी मैनपुरा, पश्चिमी मैनपुरा एवं पूर्वी मैनपुरा को पटना नगर निगम क्षेत्र में कर लिये जाने एवं पाटलीपुत्रा कॉलोनी को अधिसूचना संख्या–1795 दिनांक–09.03.1967 द्वारा पटना नगर निगम में शामिल करने के प्रस्ताव पर सहमति दी गई है।

5. बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए:–

(i) नगर आयुक्त, पटना नगर निगम दीघा व मैनपुरा (पाटलीपुत्रा कॉलोनी सहित) से जुड़ने वाले नए इलाकों में तत्काल नागरिक सुविधाऐं मुहैया कराऐ साथ ही साथ पटना नगर निगम होल्डिंग टैक्स वसूली की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया।

(ii) चूँकि पंचायती राज विभाग द्वारा संबंधित पंचायतों को डी–नोटिफाई कर दिया गया अतएव सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग से वार्डों के गठन एवं निर्वाचन कराने के संबंध में कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

(iii) नगर आयुक्त, पटना नगर निगम ने बैठक में आश्वस्त किया कि तत्काल, नगर निगम इन इलाकों में सफाई, नाला उड़ाही व सड़कों पर नियमित झाड़ु लगाने की कार्रवाई शुरू करेगा जिसके अनुरूप होल्डिंग टैक्स की गणना की जायेगी। नगर निगम होल्डिंग टैक्स की वसूली के लिए इन इलाकों में सड़कों की पहचान करेगा जिस के अनुरूप होल्डिंग की गणना की जायेगी।

(iv) उक्त ग्राम पंचायतों की सभी परिसम्पत्तियों एवं देनदारी को पटना नगर निगम में स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया गया।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक– 4341 /न0वि0एवंआ0वि0 /पटना, दिनांक:– 6/7/16

प्रतिलिपि:–सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग/निदेशक, पंचायती राज विभाग/उप विकास आयुक्त, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/7/2016
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग